कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्य प्रदेश

पत्र क्रमांक 1025/11-भू-प्र./2015 ग्वालियर, दिनांक 15.06.2015

प्रति,

कलेक्टर
जिला- समस्त
मध्य प्रदेश।

विषय: पृथक स्वत्वाधिकार के अधीन धारित सर्वेक्षण संख्यांक के नक्शे पर तरमीम (निर्माण) बाबत।

प्राय: यह देखने में आया है कि खसरा में किए बटांकनों के अनुसार नक्शा तरमीम नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप भूमिधारकों को तरमीमसुदा नक्शे के प्रतिलिपि नहीं मिल रही है। भूमि धारकों को तरमीमसुदा नक्शों की प्रति उपलब्ध हो सके इसके लिये निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

1.1 खसरा में हुए बटांकन के अनुरूप पटवारी नक्शे तरमीम कराया जाए।

1.2 इस तरमीमसुदा नक्शे को कम्प्यूटरीकृत नक्शे में अद्यतन कर लिया जाए।

2. प्रदेश में ग्रामों के नक्शे कृषि प्रयोजन हेतु 1/3600, 1/3960 एवं 1/4000 के मापमान पर तैयार किये गये हैं। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 (अब धारा 70) के अन्तर्गत निर्मित नियमों की कण्डिका 1(क) में यह प्रावधान है कि कृषि प्रयोजन हेतु कोई भी सर्वेक्षण संख्यांक जिसका क्षेत्रफल 0.05 एकड़ से कम होने पर, नक्शे में निर्मित नहीं किया जाएगा।

3. उक्त प्रावधान के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि खसरा में हुए बटांकनों के अनुरूप नक्शे तरमीम करते समय केवल ऐसे ही बटांकन नक्शे पर अंकित किए जाए जिनका क्षेत्रफल 0.05 एकड़ / 2178 वर्गफीट या 200 वर्गमीटर से कम है, न हो।

4. नक्शे में किए गए तरमीम अनुसार भू-नक्शा सॉफ्टवेयर द्वारा डिजिटल नक्शे में अंकित करने के लिये प्रत्येक जिले के पटवारियों, राजस्व निरीक्षकों एवं डाटाएन्ट्री आपरेटरों को प्रशिक्षण दिलाया गया है। वर्ष 2015-16 को कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा भू-अभिलेख वर्ष घोषित किया गया है, तदानुसार कृपया अपने जिलों में उक्त निर्देशों के क्रम में खसरा नक्शा अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. तरमीमसुदा नक्शे के अनुसार डिजिटल नक्शे को अद्यतन करने की प्रत्येक माह की कार्य प्रगति इस कार्यालय को आगामी माह की 10 तारीख तक भिजवाने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर)
आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश

कार्यालय कलेक्टर जिला [illegible] (म.प्र.)
दायरा क्र. .... 16 JUN 2015
शाखा: SLR
पत्र संख्या ....
निर्देश ....
विशेष टि. ....

(हस्तलिखित टिप्पणियाँ) 17.6.15